न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी **उम्मेदी लाल मीना** आर.ए.एस.

अनवान:–   **प्रकरण सं. 26 / 2024**

राणा सिंह पुत्र गुरा सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड नम्बर– 10, डबलीबास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ़।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व नोटिस क्रमांक 163 दिनांक 18.09.2024 जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक रास्ता पर मिथ्या रूप से अतिक्रमण होना व्यक्त कर कब्जा हटाने की धमकी दी गई। बमुराद अपास्त किये जाने नोटिस / आदेश व स्वीकार किये जाने निगरानी प्रार्थना पत्र।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

उपस्थित:–

1 श्री सुमित अरोड़ा अभिभाषक निगरानीकर्ता।

2 श्री खुशप्रीतसिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01, 02

–:निर्णय:–

दिनांक:–18.11.2024

निगरानी से सम्बंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब ने एक नोटिस क्रमांक 163 दिनांक 18.09.2024 निगरानीकर्ता को इन कथनों के साथ प्रेषित किया कि निगरानीकर्ता ने सार्वजनिक रास्ते की जगह पर दीवार निकालकर व गेट बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है तथा इस संबंध में पांच दिवस में अवैध अतिक्रमण हटाकर उक्त रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करें अन्य राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 62 के तहत शास्ति अधिरोपित कर हर्जाना वसूल करते हुए उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। निगरानीकर्ता ने अप्रार्थी संख्या–1 के समक्ष अविलम्ब उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसने सार्वजनिक रास्ते की जगह पर दीवार निकालकर व गेट बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं किया हुआ है तथा इस स्थान पर सार्वजनिक रास्ता नहीं है बल्कि प्रार्थी ने अपने भूखण्ड की सीमा में ही निर्माण किया हुआ है, प्रश्नगत भूखण्ड प्रार्थी के दादा लाल सिंह के नाम से है जिसमें प्रार्थी मय परिवार रिहायश कर रहा है। अप्रार्थी संख्या–1 के वर्तमान सरपंच जिसकी प्रार्थी के साथ चुनावों को लेकर रंजिश है, के वशीभूत होकर प्रश्नगत स्थल को अतिक्रमण होना मानकर आक्षेपित नोटिस क्रमांक 163 दिनांक 18.09.2024 प्रेषित किया है। प्रार्थी द्वारा आक्षेपित नोटिस क्रमांक 163 दिनांक 18.09. 2024 को अपास्त करवाने हेतु निम्नलिखित आधार पर [illegible] पेश की है:–

अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा जारी आक्षेपित न[illegible] क्र[illegible] 163 दिनांक 18.09.2024 कतई गलत, विधि विरूद्ध एवम् मनमाना है [illegible] आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व कोई प्रस्ताव नहीं लिया ग[illegible] सार्वजनिक रास्ते की जगह दीवार निकालने व गेट बनाने के मिथ्या कथन किये हैं। [illegible]र्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया [illegible] सार्वजनिक रास्ता कितने फुट चौड़ा है व अभिकथित दीवार व गेट कितने फुट अतिक्रमित भूमि पर बने हुए है। आक्षेपित नोटिस क्रमांक 163 दिनांक 18.09.2024 भ्रामक है। आक्षेपित नोटिस प्रेषित करने से पूर्व प्रार्थी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है बल्कि प्रार्थी को सुने बिना प्रश्नगत स्थल पर अतिक्रमण होना मानकर हटाये जाने के आदेश पारित किये हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.29 18:37:24 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

जो न केवल विधि विरूद्व है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब ने आक्षेपित नोटिस में कब्जा का साईज व पहचान का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया तथा ना ही इस सम्बंध में मौका पर कोई रिपोर्ट ली गई। वस्तुतः प्रश्नगत स्थल पर प्रार्थी की पुरानी दीवार व गेट बना हुआ था जो ध्वस्त हो गया था उसी स्थान पर नई दीवार व गेट का निर्माण किया गया है। प्रश्नगत स्थल सार्वजनिक रास्ता की भूमि पर नहीं है अप्रार्थीगण ने सार्वजनिक रास्ता की भूमि पर दीवार व गेट होने के मिथ्या कथन किये हैं। आक्षेपित नोटिस में सार्वजनिक रास्ता की चौड़ाई का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया। ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब में अन्य लोगों के कब्जे हैं, लेकिन अप्रार्थीगण ने पिक एण्ड चूज के आधार पर प्रार्थी से राजनैतिक द्वेषता से प्रार्थी के विरूद्ध कतई गलत व विधि विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। प्रश्नगत स्थल को शामिल करते हुए प्रार्थी ने नियमन हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष कार्यवाही कर रखी है, लेकिन अप्रार्थीगण ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। यह निवेदन भी किया कि प्रार्थी ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 157 के अनुसार नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का कोई निस्तारण नहीं किया। ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच द्वारा आगामी पंचायती चुनावों को मध्यनजर रखते हुए आचार संहिता लगने से पूर्व ही अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रार्थी का सार्वजनिक रास्ता पर अतिक्रमण होना व्यक्त कर आनन फानन में अतिक्रमण हटाने की धमकी दी जा रही है जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमायी जाकर आक्षेपित नोटिस क्रमांक 163 दिनांक 18.09.2024 ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 01, 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूखण्ड प्रार्थी के दादा लाल सिंह के नाम से है जिसमें प्रार्थी मय परिवार रिहायश कर रहा है। अप्रार्थी संख्या–1 के वर्तमान सरपंच जिसकी प्रार्थी के साथ चुनावों को लेकर रंजिश है, के वशीभूत होकर प्रश्नगत स्थल को अतिक्रमण होना मानकर आक्षेपित नोटिस क्रमांक 163 दिनांक 18.09.2024 प्रेषित किया है। अप्रार्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया कि सार्वजनिक रास्ता कितने फुट चौड़ा है व अभिकथित दीवार व गेट कितने फुट अतिक्रमित भूमि पर बने हुए है। प्रार्थी ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 157 के अनुसार नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का कोई निस्तारण नहीं किया। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमायी जाकर आक्षेपित नोटिस क्रमांक 163 दिनांक 18.09.2024 ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब को निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01, 02 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि पूर्वक रूप से प्रस्ताव लेकर तीन पंच व ग्राम विकास अधिकारी की कमेटी गठित कर अतिक्रमण बाबत सर्वे रिपोर्ट मय [illegible] उपरान्त अतिक्रमण होना प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण को [illegible] बाबत ग्राम पंचायत द्वारा विधिपूर्वक रूप से नोटिस प्रेषित किया है। प्रार्थी द्वारा [illegible] स्थान पर नियमन हेतु किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई [illegible] गली आम की जगह का नियमन किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा अपने मकान के साथ चिपती हुई गली आम मे 30 गुणा 25 फुट अतिक्रमण किया हुआ है। सर्वे उपरान्त अतिक्रमण होना साबित पाये जाने पर प्रार्थी को दिनांक 22.07.2024 को ग्राम पंचायत द्वारा जरिये क्रमाक 109 अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था तथा दिनांक 05.08.2024 को ग्राम पंचायत द्वारा जरिये क्रमाक 124 प्रार्थी को अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस प्रेषित किया गया था इसलिए प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.29 18:37:24 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सुनवाई का अवसर दिये बिना नोटिस दिनांक 18.09.2024 प्रेषित करने के तथ्य झूठे व निराधार साबित होते है। पंचायत द्वारा दिये गये नोटिस के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी पोषणीय नही है, अगर पंचायत द्वारा दिये गये नोटिस के विरूद्ध प्रार्थी कोई कार्यवाही करना चाहता है तो प्रार्थी धारा 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायत समिति के समक्ष कार्यवाही करनी चाहिए थी इसलिए निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी व स्थगन आदेश प्रार्थी काबिल खारिजी है। वर्तमान सरपंच द्वारा राजनैतिक द्वेषता रखने बाबत कथन झूठे व निराधार है जो निंदनीय है तथा हटाये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने अवैध व गैर कानुनी तरीके से किये गये पूर्णतः साबित अतिक्रमण पर अपना अवैध कब्जे को संरक्षित रखने के आशय से मिथ्या आधारो पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण पर बने रहने की गर्ज से मिथ्या आधारो पर उक्त निगरानी प्रस्तुत की है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

1. ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब पचांयत समिति की कमेटी (तीन पंच व ग्राम विकास अधिकारी) मौका निरीक्षण व सर्वे रिपोर्ट के अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा अपने मकान के साथ चिपती हुई गली/सार्वजनिक रास्ते में उतर दिशा में 30 फीट अपने मुख्य दरवाजे की दीवार आगे बढाकर अतिक्रमण किया गया है। निगरानीकर्ता के पास उक्त अतिक्रमित जगह के संबंध में कोई पटटा या अन्य दस्तावेज ग्राम पंचायत व इस न्यायालय को उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।
2. निगरानीकर्ता द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है, जिससे निगरानीकर्ता का विवादित भूखण्ड पर कोई हक हो और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य दौराने बहस प्रस्तुत किया है। निगरानीकर्ता केवल कब्जे के आधार पर पर अपना हक चाहता है। कब्जे के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा DNJ 2022 PAGE 302 Padhiyar Prahlad Ji Chomali (Deceased) Thro'LR vs Maniben Nagmalbhai (Deceased) Thro'LR' & others में मत प्रतिपादित किया है कि "स्वामित्व के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है, किसी वास्तविक मालिक या स्वामित्व धारक विरूद्ध किसी अतिचारी या गैरवासी कब्जे वाले व्यक्ति के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती" अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में प्रकरण निगरानीकार के पक्ष में नहीं माना जा सकता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

(बिहारी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Umesh Meena
Date: 2024.11.29 18:37:24 IST
Reason: SelfAttested